कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर

विज्ञाप्ति–

माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के पत्र सं0–287 /एसएलएसए–99/2019(हैदर/ऋ) दिनांकित 26.01.2024 के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर में लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम में दिये गये पदों पर चयन किये जाने हेतु निर्धारित योग्यता प्राप्त अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये गये थें, जिसमें आवेदन पत्र कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गाजीपुर में जमा करने की अन्तिम तिथि 15.02.2024 को सायं 5:00 बजे तक नियत थी। जिसको बढ़ाकर दिनांक 22.02.2024 तक किया जाता है।

अतः इच्छुक आवेदक/अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन समस्त शैक्षणिक अभिलेखों व प्रमाण पत्रों तथा अन्य आवश्यक अभिलेखो की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं पासपोर्ट साईज की 02 फोटो के साथ समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए **जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गाजीपुर के कार्यालय में दिनांक 22.02.2024 की सायं 05:00 बजे तक** उपस्थित होकर/पंजीकृत डाक द्वारा प्राप्त करा सकते है। निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर समिति द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं अन्य विवरण जनपद न्यायालय गाजीपुर की वेवसाईट **https://ghazipur.dcourts.gov.in** से डाउनलोड किये जा सकते है। चीफ/डिप्टी चीफ/असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की कार्य की प्रकृति, कार्यकाल एवं अन्य नियम व शर्ते नालसा के दिशा–निर्देश एवं एल0ए0डी0सी0एस0 स्कीम 2022 के अधीन होगी।

विज्ञापित पदों का विवरण निम्नलिखित हैः–

क्र0सं0	पदों का नाम	पदों की संख्या
1.	चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल	01
2.	डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल	01
3.	असिस्टेन्ट लीगल एड डिफेंस काउंसिल	02

संलग्नक–उपरोक्तानुसार

दिनांक 16.02.2024

(विजय कुमार–IV)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
सचिव पूर्णकालिक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजीपुर।

प्रतिलिपिः–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की इसका निःशुल्क प्रकाशन समस्त समाचार पत्रों में कराना सुनिश्चित करें।
2. सिस्टम आफिसर कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय, गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की वह जनपद न्यायालय, गाजीपुर की वेवसाईट पर अपलोड कराये।
3. केन्द्रीय नाजिर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को जनपद न्यायालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।
4. अध्यक्ष/सचिव, जिला बार एसोसिएशन गाजीपुर को इस आशय से प्रेषित की उक्त सूचना को बार के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराये।

16.2.24

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
सचिव पूर्णकालिक
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
गाजीपुर।